न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–12 / 2021 दायर दिनांकः 13.01.2021
GCMS NO:- 2021/21
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामदेव पुत्र चतर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. रामकृष्ण पुत्र चतर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामदेव पुत्र लच्छीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. देवलाल पुत्र लच्छीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 15.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नाथडी पटवार मण्डल फुलेता तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की खसरा संख्या 381 / 207 / 04–10 बीघा तथा खसरा संख्या 382 / 207 / 06–00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम नाथडी पटवार मण्डल फुलेता तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा संख्या 106 / 03–01, 107 / 00–04, 337 / 207 / 01–10, 338 / 117 / 00–11, 339 / 249 / 02–00, 340 / 283 / 07–10 बीघा तथा खसरा संख्या 341 / 299 / 02–00 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने का 20 फीट चौडा रास्ता बून्दी–नैनवॉ रोड से खेरूणा जाने वाले डामर रोड से पूर्व की ओर होता हुआ प्रार्थीगण के खेतों में पहुचंता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा सिवाय चक भूमि ख0 सं0 211 में से गै0 मु0 रास्ता चाहा गया है। सडक से पूर्व दिशा की ओर 2 गठ्ठा चौडा व 8 गठ्ठा लम्बा रास्ता मौके पर स्थित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मौके की स्थिति के अनुसार सिवायचक ख0 सं0 211 के दक्षिण की ओर सडक से पूर्व दिशा में 2 गठ्ठा चौडा व 8 गठ्ठा लम्बाई में रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। यह कि खसरा संख्या 211 सिवायचक भूमि में से रकबा 2 गठ्ठा • 8 गठ्ठा = 16 वर्ग गठ्ठा रकबा 0.01 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में काली डोटेड लाइन से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 01 ...या है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट फुलेता में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम नाथडी पटवार मण्डल फुलेता तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 381/207/04-10, 382/207/06-00, 106/03-01, 107/00-04, 337/207/01-10, 338/117/00-11, 339/249/02-00, 340/283/07-10 बीघा तथा खसरा संख्या 341/299/02-00 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए सिवायचक भूमि खसरा संख्या 211 में से रकबा 2 गठ्ठा • 8 गठ्ठा = 16 वर्ग गठ्ठा= रकबा 01 बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसे परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में काली डोटेड लाइन से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner